Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 131, Vol - XIII (12), February - 2015, Page No. 145-147
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007

An Empirical Study on Right To Education (A Study of Haldwani in Uttarakhand)

The findings show that so far there has been some progress only in terms of Enrollment/basic infrastructure but towards guaranteeing quality education in terms of student learning the state has to go a long way. Further, from the findings of the study, it can be concluded that few of the parents are aware about the free education provided to the students of elementary schools. But, many of they are not aware of the benefits provided to the children. There is a need to forge partnerships among state, school functionaries, voluntary agencies, parents and other Stakeholders. Concerted efforts are required at all levels since isolated efforts do not bring the desired results.

BUSHRA MATEEN

Introduction :

The Right of children to Free and Compulsory Education Act came into force from April 1, 2010. This is a historic day for the people of India as from this day the Right to Education will be accorded the same legal status as the Right to Life as provided by Article 21A of the Indian Constitution. Every child in the age group of 6-14 years will be provided 8 years of elementary education in an age appropriate classroom in the vicinity of his/her neighborhoods. Any cost that prevents a child from accessing school will be borne by the State which shall have the responsibility of enrolling the child as well as ensuring attendance and completion of 8 years of schooling. No child shall be denied admission for want of documents; no child shall be turned away if the admission cycle in the school is over and no child shall be asked to take an admission test. Children with disabilities will also be educated in the mainstream schools.All private schools shall be required to enroll children from weaker sections and disadvantaged communities in their incoming class to the extent of 25% of their enrollment, by simple random selection.

The rights to education are separated into three levels:

Primary (elemental or fundamental) education : This shall be compulsory & free for any child regardless of their Nationality, gender, place of birth or any other discrimination.

Secondary (or elementary technical & professional in the UDHR) : education must be generally available & accessible.

Higher education (at the university level): should be provided according to capacity. That is anyone who meets the necessary education standards should be able go to university.

Both secondary & higher education shall be accessible "by every appropriates means, & in particular by the progressive introductions of free education".

Objectives of the Study :

(1) To find out the level of awareness on RTE among Primary school principals & teachers in Haldwani.

(2) To find out implementation of RTE among schools.

(3) To find out the student of weaker section children ratio of admission.

(4) To find out any aid provided by government to private school.

Hypotheses :

(1) The level of awareness on RTE among Primary school is very low.

(2) The Right benefit of RTE is not available to weaker section & disadvantage group.

(3) Primary school teachers who are residing in urban area have more awareness on RTE as compare to semi urban area.

(4) The level of awareness of rte among parents is very low.

(5) Governments provide aid to private school.

Research Methodology :

The primary data is collected by schools through structured questionnaire. Secondary data is being collected through reviews, magazines, journals and websites. Area covered under the study includes 10 urban, semi urban schools of Haldwani.

International Legal Basis :

The two educations are enshrined in Article 26 of the universal declaration of Human Rights and Articleb13 & 14

Assistant Professor (Contract), Department of Commerce, DSB Campus, Kumaun University, Nainital (Uttarakhand)

of the International Convenient on Economic, Social & Cultural Rights.The right to education has been reaffirmed in the 1960 UNESCO convention on the Elimination of ALL Forms of Discrimination against Women.In Europe, Article 2 of the first protocol of 20 march 1952 to the European convention on Human Right to education recognized as a human right & is understood establish an entitlement to education. According to the International Convent on Economic, Social & Cultural Rights, the right to primary compulsory education includes the right free, compulsory primary education for all, an obligation to develop secondary education accessible to all in particular by the progressive introduction of free secondary education.

National Legal Basis :

The framers of the constitution realize the importance of education have imposed a duty on the state under Article 45 of the Constitution as one the directive policy which is part of Chapter 4 of the Constitution Constitution with object to abolish illiteracy. and rights in Chapter 4 are not enforceable. For the first time in the history of India we have made this right enforceable by putting it in Chapter 3 of the Constitution as Article 21. This entitles children to have the right to education enforced as a fundamental right. The Article 21 has made education by the Constitution (86th amendment) Act, 2002 has added a new article 21A Article after Article 21 & has made education for all children of the age of 6 to 14 a Fundamental Right.

STATE LEGAL BASIS In Uttarakhand it is called as "Uttarakhand right of children free & compulsory education rules, 2011".

Child belongs to disadvantage group means SC,ST backward classes notified under state govt.Child belonging to disadvantaged group means a child belonging to the scheduled caste, schedule tribe other backward classes as notified by the state government(except creamy layer) an orphan child, child suffering from disability as defined in person with disabilities(equal opportunities, protection and full participation Act,1995)(act 1 of 1996)a child depending on widow or divorcee mother, whose annual income is less than Rs.80000/-,HIV+ child or child of HIV+ parents and child belonging to parents with disabilities(including leprosy effected persons)defined in person with disabilities(Equal opportunities, Protection and Full Participation Act 1995)(Act 1 of 1996) whose annual income is less than Rs 4.5 lakh and includes such disadvantaged children as defined by the State Government from time to time; Provided that 50% of the children belonging to disadvantaged group to be admitted under provision of section 12 of the act shall be girls.

The RTE Act offers the following provisions :

The RTE Act provides for the :

(i) Right of children to free and compulsory education till completion of elementary education in a neighborhood school.

(ii) It clarifies that 'compulsory education' means obligation of the appropriate government to provide free elementary education and ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education to every child in the six to fourteen age group. 'Free' means that no child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education.

(iii) It makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age appropriate class.

(iv) It specifies the duties and responsibilities of appropriate Governments, local authority and parents in providing free and compulsory education, and sharing of financial and other responsibilities between the Central and State Governments.

(v) It lays down the norms and standards relating inter alia to Pupil Teacher Ratios (PTRs), buildings and infrastructure, school-working days, teacher-working hours.

(vi) It provides for rational deployment of teachers by ensuring that the specified pupil teacher ratio is maintained for each school, rather than just as an average for the State or District or Block, thus ensuring that there is no urban-rural imbalance in teacher postings.

(vii) It provides for appointment of appropriately trained teachers, i.e. teachers with the requisite entry and academic qualifications.

(viii) It prohibits **(a)** physical punishment and mental harassment; **(b)** screening procedures for admission of children; **(c)** capitation fee; **(d)** private tuition by teachers and **(e)** running of schools without recognition,

(ix) It provides for development of curriculum in consonance with the values enshrined in the Constitution, and which would ensure the all-round development of the child, building on the child's knowledge, potentiality and talent and making the child free of fear, trauma and anxiety through a system of child friendly and child centered learning.

Data analysis and Interpretation :

School No.	Total Students in School	In 1st class	Weaker Section Students
1	1129	48	9
2	1706	49	6
3	1009	28	5
4	900	15	2
5	1265	40	8
6	1600	58	12
7	1100	35	6
8	1400	55	10
9	1378	50	7
10	800	30	5
Total	**12287**	**408**	**70**

This table shows in survey of 10 schools total no of students are 12287 out of which there are 408 students in first standard of which weaker section students include 70 this shows that schools are providing free and compulsory education to weaker section of neighborhoods.

Awarness Among Parents on RTE

S.No	Options	Frequency	Percent
1	Yes	3	30%
2	No	7	70%
Total		**10**	**100%**

The table shows that out of 10 respondent 70% of the respondent i.e. 7 are not aware of RTE among parents. Only 30% are aware of RTE. Our hypothesis is that there is low awareness among parents. The results shows that parents are not aware of RTE accept our hypothesis.

Awareness among urban and semi urban school areas :

Awareness Among Urban on RTE

S.No	Options	Frequency	Percent
1	Yes	7	100%
2	No	0	0%
Total		**7**	**100%**

Awareness Among Semi-Urban on RTE

S.No	Options	Frequency	Percent
1	Yes	2	66.67%
2	No	1	33.33%
Total		**3**	**100%**

These two table shows that in urban area school there is 100% awareness among school comparatively to semi urban i.e. only 66.7% are aware. This shows that urban schools are having high awareness among schools on RTE.

Aid Provided by Government

S.No	Options	Frequency	Percent
1	Strongly agree	6	60%
2	Agree	3	30%
3	Strongly Disagree	0	0%
4	Disagree	1	10%
Total		**10**	**100%**

Conclusion :

The findings show that so far there has been some progress only in terms of Enrollment/basic infrastructure but towards guaranteeing quality education in terms of student learning the state has to go a long way. Further, from the findings of the study, it can be concluded that few of the parents are aware about the free education provided to the students of elementary schools. But, many of they are not aware of the benefits provided to the children. There is a need to forge partnerships among state, school functionaries, voluntary agencies, parents and other Stakeholders. Concerted efforts are required at all levels since isolated efforts do not bring the desired results.

References :

(1) *Pandey, J.N, Constitution of India (Central Law Publication).*

(2) *Jain, M.P., Constitution of India (Central Law Publication).*

(3) *Right To Free And Compulsory Education Act, 2009*

(4) *European Convention on Human Rights.*

(5) *Convention on Elimination of All Form of Discrimination against Women.*

(6) *Universal Declaration of Human Rights, 1948.*

(7) *International Convention on Economic, Social & Cultural Right.*

☸☸

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Research Paper**
Research Link - 131, Vol - XIII (12), February - 2015, Page No. 148-150
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007

मानवीय पूँजी निर्माण एवं स्वामी विवेकानंद

प्रस्तुत शोधपत्र में मानवीय पूँजी निर्माण को लेकर स्वामी विवेकानंदजी के विचारों का विश्लेषण किया गया है। स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर अपने जीवन में उतार कर मानवीय पूंजी का निर्माण कर क्या आर्थिक विकास संभव है?, इसी तथ्य की जानकारी प्राप्त करना प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुत शोध मुख्यतः द्वितीयक समंकों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंदजी के मानवीय पूंजी निर्माण के संदर्भ में विचारों को जानने के लिए विवेकानंद साहित्य - अद्वैत आश्रम कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अष्टम एवं दशम खण्ड एवं श्रीराम शर्मा आचार्य वाड्मय विचार-सार एवं युक्तियों के प्रथम खण्ड का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र अनुभव परक एवं अवलोकन पद्धति पर आधारित है।

डॉ.सुषमा व्यास

मानवीय पूँजी का किसी भी देश के आर्थिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक "राष्ट्र की संपत्ति" में कहा है – "प्रत्येक देश का वार्षिक श्रम वह कोष है, जो मूलरूप से जीवन की अनिवार्यताओं एवं सुविधाओं की पूर्ति करता है।" व्हिपिल महोदय का कहना है, "किसी भी देश की वास्तविक संपत्ति उस देश की भूमि या पानी में नहीं, वनों या खानों में नहीं, पक्षियों या पशुओं के झुण्डों में नहीं, और न ही डालरों के ढेर में आँकी जाती है, बल्कि उस देश के स्वास्थ्य, सम्पन्न एवं सुखी पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों में निहित है।"

अतः आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक विकास के लिए मानवीय शक्ति का उपयुक्त ढंग से उपयोग हो। मेयर्स के अनुसार मानवीय पूँजी के निर्माण से हमारा आशय "देश के सभी लोगों का ज्ञान, कुशलता, तथा क्षमताएं बढ़ाने की प्रक्रिया से है।" यदि देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप है और उसके निवासी विवेकशील, चरित्रवान, स्वस्थ, परिश्रमी, शिक्षित एवं कार्यदक्ष हैं तो निसन्देह अन्य बातें समान रहने पर उस देश का आर्थिक विकास अधिक होगा।

शोध का उद्देश्य :

स्वामी विवेकानन्द के विचारों को आत्मसात कर अपने जीवन में उतार कर मानवीय पूंजी का निर्माणकर क्या आर्थिक विकास संभव है? इसी तथ्य की जानकारी प्राप्त करना प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य है।

शोध प्रविधि एवं समंक संकलन :

प्रस्तुत शोध मुख्यतः द्वितीय समंक पर आधारित है। स्वामी विवेकानंदजी के मानवीय पूंजी निर्माण के सन्दर्भ में विचारों को जानने के लिए शोधकर्ती द्वारा विवेकानंद साहित्य– अद्वेत आश्रम कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अष्टम एवं दशम खण्ड एवं श्रीराम शर्मा आचार्य वाङमय विचारसार एवं युक्तियां प्रथम खण्ड का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत शोध अनुभव परक एवं अवलोकन पद्धति पर आधारित है।

निष्कर्ष एवं निर्वचन :

आर्थिक विकास एक यान्त्रिक प्रक्रिया भाग ही नहीं, वरन अन्तिमरूप से यह एक मानवीय उपक्रम है। अन्य मानवीय उपक्रमों की भांति इसका परिणाम सही अर्थों में, इसको संचालित करने वाले जन समुदायों की कुशलता, गुणों एवं प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य के अध्ययन करने पर निम्न बिन्दु सामने आए, जो मानवीय पूंजी निर्माण में सहयोगी होंगे–

(1) शिक्षा : स्वामीजी ने कहा है, "मनुष्य में जो सम्पूर्णता गुप्त रूप में विद्यमान है, उसे प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है।"

मनुष्य में विद्यमान परिपूर्णता को जगाना और प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है। जब तक यह लागू नहीं होता हम अपनी सर्वोपरिता सिद्ध नहीं कर पाएगें।"

"शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास करना है।"

"उच्च शिक्षा वही मानी जाएगी जिसे पाकर मनुष्य में विनम्रता, परोपकारी वृत्ति, सेवाभावी स्वभाव एवं कार्य करने की तत्परता में वृद्धि होती है।" "मात्र अक्षर ज्ञान को शिक्षा कहना शिक्षा शब्द का अपमान करना है। जिस शिक्षा को पाकर मनुष्य अपने लिए, परिवार एवं समाज के लिए, समस्या ही बना रहे उस शिक्षा को शिक्षा कैसे कहा जाए? शिक्षा वह है जो मनुष्य के जीवन में प्रकाश बन कर फूट पड़े। शिक्षित व्यक्ति का हर कार्य व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर तुष्टि पुष्टि बढ़ाने वाला होना चाहिए। आवश्यकता है ऐसे शिक्षितों की ओर शिक्षा की। उनकी उपयुक्त व्यवस्था भी समाज को करना होगी।

विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र विभाग), भेरुलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (मध्यप्रदेश)

निष्कर्ष : हमारी शिक्षा पद्धति के दोषों से कोई अनभिज्ञ नहीं है। यदि हमारी शिक्षा पद्धति शिक्षा के सन्दर्भ में स्वामी के द्वारा दिए गये इन विचारों के अनुरूप होगी तो निश्चित रूप से मनुष्य की कार्यक्षमता बढ़ेगी जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी एवं आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी।

(2) साहस :

आर्थिक विकास तकनीकी प्रगति एवं नव प्रवर्तनों पर निर्भर करता है, नव प्रवर्तन के लिए उद्यमशीलता की आवश्यकता होती है एवं उद्यमशीलता के लिए जोखिम उठानी पड़ती है, जिसके लिए साहस होना आवश्यक है। साहस के सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द के उद्‌गार है – "अगर गिर पड़ो तो हताश मत होओ, गिरना बुरा नहीं है, क्योंकि गिरकर भी उठा जा सकता है। जो चढ़ता है वही गिरता है, घबराओ मत, चलो, गिरो, उठो फिर आगे बढ़ो।"

प्रत्येक आपत्ति अभिशाप नहीं होती। जीवन की आरम्भिक आपत्तियां अनेक बार आशिर्वाद सिद्ध होती हैं। जाती हुई कठिनाइयां हमें शिक्षा भी देती है और हमारे प्रयत्नों से हमें साहसी बनाती है"

दुःख आँधियों की तरह आते हैं यदि तुम अपने को चट्‌टान की तरह दृढ़ बनाए रहो तो वे चले जाएंगें और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मनुष्य घोर आपत्तियों से नहीं मरता वे तो जीवन का निर्माण करती हैं।

यदि मनुष्य जीवन को उच्च विजयी बनाना चाहता है, तो अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से जरा भी नहीं डरना चाहिए न ही निराश होना चाहिये। न रगड़ बिना रत्न चमकते हैं न कठिनाइयों का सामना किए बिना मनुष्य महान बनता है। योद्धा वह नहीं है जो दूसरों को मारता है वरन सच्चा योद्धा वह है जो अपनी बुराइयों को मार डालता है।

"उचित को जानना और जानते हुए भी उचित पर अमल न करना यह दर्शाता है कि ऐसे मनुष्य में साहस का अभाव है।"

जीर्णशीर्ण मान्यताओं में परिवर्तन ओर नए आदर्शों की स्थापना के लिए साहस नहीं होता, वे जातियां कभी समर्थ नहीं बन पाती। आर्थिक विकास के लिए परम्पराएं नहीं परिवर्तन एवं जिन्दादिली चाहिए।

दूसरों पर भरोसा लादे मत बैठे रहो। अपनी ही हिम्मत पर खड़ा रह सकना और आगे बढ़ सकना सम्भव हो सकता है। सलाह सबकी सुनो पर करो वह जिसके लिए तुम्हारा साहस एवं विवेक समर्थन करे। विश्व संग्राम में विजय की प्राप्ति के लिये दृढ़ता आवश्यक है। दुर्बल, शक्तिहीन, निस्तेज व्यक्ति न तो शासन कर सकता है, न नेतृत्व न प्रगति।

निष्कर्ष : नए अविष्कार, तकनीकी ज्ञान व नयी खोजों का आर्थिक विकास की दृष्टि से तब तक कोई महत्व नहीं, जब तक कि उन्हें व्यावाहारिक रूप प्रदान न कर दिया जाए और यह काम सिर्फ साहसी ही कर सकता है। न तो अविष्कार की योग्यता और न केवल अविष्कार ही आर्थिक विकास को सम्भव बनाते हैं बल्कि यह तो उन्हें कार्य रूप में परिणित करने की प्रबल इच्छा व जोखिम उठाने की योग्यता पर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानन्द के इन विचारों को यदि आत्मसात किया जो निश्चितरूप से आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी।

(3) सामाजिक एवं संस्थागत मूल्य :

आर्थिक विकास के लिए मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं का होना उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार आर्थिक आवश्यकताओ का।

स्वामी विवेकानन्द ने भारतवासियों मुख्यतः युवाओं से आग्रह किया कि – बेकार के जातीय संघर्ष लड़ाई झगड़ों में समय शक्ति बरबाद न करके विकास के कार्य, सभी धर्मों का सम्मान करें, दलितों को सहारा दे, उन्हें शिक्षा एवं सम्मान दिलाएं तथा उनके साथ समानता हा व्यवहार करें। आध्यात्मिक एवं लौकिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। छुआछूत एवं भेदभाव की भावना को त्याग कर हम भारतवासियों को मिलकर भारत को दुनिया के शिखर पर पहुंचाने के लिए कार्य करना चाहिए। तभी हम भारत का उज्ज्वल भविष्य बना सकेंगे।

निष्कर्ष : स्वामी के इन विचारों को समाज को अपने साथ आत्मसात करना होगा। वास्तव में गैर आर्थिक तत्वों के रूप में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं संख्यागत तत्व आर्थिक विकास की उत्प्रेरक शक्तियाँ हैं। प्रो. रागनर नकर्से का कहना है कि आर्थिक विकास का मानवीय मूल्यों, सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनैतिक दशाओं से एक घनिष्ठ संबंध रहा है।

अल्पविकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण वास्तव में ये सामाजिक एवं संस्थागत तत्व ही रहे हैं। इन देशों में जाति प्रथा, छुआछूत, अंणविश्वास, रूढ़िवादिता, धार्मिकपाखण्ड, परिवर्तन के प्रति विरक्ति, सामाजिक अपव्यय सदैव आर्थिक विकास के बाधक रहे हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए मार्ग पर चल कर हम इन बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं।

(4) कुशल प्रशासन एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ :

किसी भी देश का आर्थिक विकास कुछ सीमा तक उस देश के स्थिर एचं कुशल प्रशासन एवं अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर है– स्वामी विवेकानन्द के निम्न विचार स्थिर कुशल प्रशासन एवं अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बनाने में सहयोगी हैं।

यदि तुम भगवान के साथ निष्कपट भाव से रहना चाहते हो, तो विश्व में किसी के साथ भी कपट मत रखो क्योंकि विश्व में वह प्रभू ही तो व्याप्त है।

यदि तुम अविच्छिन आत्मचिन्तन नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में एक बार जो किया करो – प्रातः काल अथवा रात्री में / प्रातः काल अपना ध्येय निश्चित करलो ओर सोते समय अपनी परीक्षा कर लो। तुमने क्या किया है? मन वचन एवं कर्म से तुमने कैसा व्यवहार किया है। यदि आप दूसरों को सुधारना चाहते हो तो पहले स्वयं को सुधारने का प्रयास करो।

दूसरों की निन्दा में खर्च किया जाने वाला समय अपने दोष ढूंढ़ने में लगाओ। दूसरों को सुधारने के लिए प्रयत्न का पहला चरण स्वयं के सुधार से प्रारम्भ करो। सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के हृदय में प्रेम ईमानदारी, सत्यता, उदारता, दया, श्रृद्धा, भक्ति और उत्साह के भाव उत्पन्न होते हैं। यह सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं ये ही मनुष्य की स्थायी शक्तियाँ हैं। इनको प्राप्त करने का उस समय तक प्रयत्न करते रहना चाहिये जब तक कि समस्त जीवन पूरी तरह रंग न जाए। जिस आदमी में ये सब गुण मौजूद हैं, वास्तव में वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। इसी सत्य के आधार पर वह परमात्मा से मिल सकता है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग किसी धर्म विशेष या किसी कर्मकाण्ड में सीमित नहीं है, यह तो आत्मा की गम्भीरता में विद्यमान

है। केवल ईश्वर का नाम रटने वाले धर्मात्मा नहीं होते हैं वरन वे ही व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, जो परमात्मा के आदर्शों पर उनके बताए मार्ग पर चलते है। धन्य है वे आदमी जो परमात्मा का उपदेश सुनते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं।

उत्कृष्टता परमात्मा का दूसरा पर्याय है अर्थात भावना एवं विचारणा में श्रेष्ठता का वरण/ आदर्शों का परिपालन करना ही परमात्मा की उपासना का लक्ष्य है।

व्यक्तिगत जीवन में गुण, कर्म एवं स्वभाव में जो जितनी सत्प्रवृत्तियों का समावेश करता है वह उसी अनुपात में ईश्वर परायण माना जाता है। समाज में सत्प्रवृत्तियां बढ़ाना दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन हेतु प्रखर पुरूषार्थ करना एवं इस हेतु स्वयं को उस योग्य बनाना परमात्मा की विराट आराधना है।

निष्कर्ष : स्वामी जी द्वारा बताए मार्ग पर चल कर यदि परमात्मा की विराट आराधना की तो निश्चित रूप से प्रशासन भी स्थिर एवं कुशल होगा एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति की स्थापना होगी। यदि देश में शान्ति एवं सुरक्षा पायी जाती है, तो काम करने एवं बचत करने की इच्छा पैदा होगी। फलस्वरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नैतिक पतन के कारण ही सरकारें बार बार बदलती रहती है तथा आन्तरिक क्षेत्र में अशान्ति का वातावरण व्याप्त है तो विनियोग सम्बन्धी निर्णयों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

सरकार की कुशल प्रशासन व्यवस्था उसके कर्मचारियों की निपुणता ईमानदारी, उत्तरदायित्व की भावना आर्थिक विकास की पहली शर्त है। स्वामी जी के विचारों को आत्मसात करने से प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू एवं सदृढ़ होगी एवं आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी।

उपसंहार :

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 15 से 50 वर्ष के लोगों की संख्या 67 प्रतिशत है। इस कार्यशील जनसंख्या में 18 से 35 वर्ष के युवकों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत है। आर्थिक विकास की वास्तविक परिसम्पत्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार एक उपयुक्त वातावरण की अनुपस्थिति में आर्थिक विकास असम्भव है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हे कि लोगों में प्रगति की प्रबल इच्छा हो, वे इसके लिए हर सम्भव त्याग करने को तत्पर हो, वे अपने आपको नए विचारों के अनुकूल ढालने के लिए जाकरूक हों और उनकी सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक एवं वैधानिक संस्थाएं इन इच्छाओं को कार्यरूप में परिणित करने में सहायक हो। ये जब स्वामी विवेकानन्द जी के विचारों को आत्मसात करने से होगा।

<u>सन्दर्भ</u> :

(1) सिंह एस.पी., आर्थिक विकास एवं नियोजन, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड रामनगर, नई दिल्ली 2001.

***(2)** विवेकानंद साहित्य, प्रथमखण्ड, 1472, अद्वेत आश्रय, 5 डिही एण्टाली रोड़ कलकत्ता।*

***(3)** विवेकानंद साहित्य, तृतीय खण्ड, 1984, अद्वेत आश्रय, 5 डिही एण्टाली रोड़ कलकत्ता।*

***(4)** विवेकानंद साहित्य, नवम खण्ड, 1973, अद्वेत आश्रय, 5 डिही एण्टाली रोड़ कलकत्ता।*

***(5)** विवेकानंद साहित्य, अष्टम खण्ड, 1973, अद्वेत आश्रय, 5 डिही एण्टाली रोड़ कलकत्ता।*

***(6)** विवेकानंद साहित्य, दशम खण्ड, 1973, अद्वेत आश्रय, 5 डिही एण्टाली रोड़ कलकत्ता।*

***(7)** आचार्य शर्मा पं. श्रीराम, वाड्मय विचार सार एवं सूक्तियां, प्रथम खण्ड अखण्ड ज्योति संस्थान मथुरा।*

❁❁

An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 131, Vol - XIII (12), February - 2015, Page No. 151-152
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007
Since March 2002

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार : एक मूल्यांकन

प्रस्तुत शोधपत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के मूल्यांकन पर आधारित है। इस वैश्वीकरण के युग में मानवाधिकारों की रक्षा में जटिलता आ रही है। इसे तभी सहज बनाया जा सकता है, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से मानवाधिकार का हनन करने वालों पर कार्यवाही हो। दुनिया के हर हिस्से में मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्रियों के निजी तत्वों द्वारा भी मानवाधिकारों के पालन और उसकी रक्षा की मांग करनी शुरु कर दी है। इसके बावजूद विश्व में मानवाधिकारों की मौजूदा स्थिति काफी असंतोषजनक है। कई देशों में मानवाधिकारों का जमकर उल्लंघन और हनन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कितने ही कठोर क्यों न हों, वे तब तक लागू नहीं हो सकते, जब तक उन्हें संबद्ध देशों के राष्ट्रीय कानून में शामिल न किया जाए और उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त न हो, तभी विश्व में कहीं भी मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा।

डॉ.कृष्णा भूरिया

मानवाधिकार :

सामाजिक जीवन की वे दशाएँ, जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत् कार्यों को सम्पादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे मानवाधिकार कहलाती है। सरल शब्दों में कह सकते है कि मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को जन्म से मिले है, ये मनुष्य की प्रकृति में निहित है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार को देखे तो ब्रिटेन में वर्ष 1215 में मैग्नाकार्टा अर्थत् महान घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। मानव अधिकारों से सम्बन्धित इस प्रथम लिखित दस्तावेज को मानवाधिकार का जन्मदाता कहा जा सकता है।

''द ट्वेल्व आर्टिकल्स आफ द ब्लैक फास्टेट'' (1525) को यूरोप में मानवाधिकारों का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है। ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स ने यूनाइटड किगंडम में सिलसिलेवार तरीके से सरकारी दमनकारी कार्यवाहियों को अवैध कराय दिया। वर्ष 1776 में संयुक्त राज्य में और वर्ष 1789 में फ्रांस में 18 वी शताब्दी के दौरान दो प्रमुख क्रांतियाँ हुई, इनके परिणामस्वरूप क्रमशः संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा एवं फ्रांसीसी की मानव अधिकार तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा का अभिग्रहण हुआ।

अनेक राष्ट्रों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। दिसम्बर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना था।

महिलाओं के अधिकार एवं शिशु अधिकारों के लिए विशेष प्रयास किए गए। साथ–ही–साथ अल्प–संख्यकों के अधिकारों के लिए विशेष प्रयास किए गए। नस्लवाद का विरोध भी इसके लक्ष्यों में प्रमुख था। वर्ष 1993 से 2003 तक के दशक के नस्लवाद विरोधी दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठन :

समय–समय पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अनेक पहल की गई हैं। दिसम्बर 1993 में संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग का गठन किया था। इसका लक्ष्य मानवाधिकारों की देखभाल करना था। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सहायक महासचिवों की नियुक्ति भी की गई थी, वर्ष 1975 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की निन्दा करते हुए इसे अमानवीय कहा गया। महिला अधिकारों के संरक्षण पर भी जोर दिया गया और वर्ष 1993 में इससे सम्बन्धित एक प्रस्ताव महासभा में पारित हुआ।

वर्ष 1959 और 1989 में शिशु अधिकारों के लिए विशेष प्रयास किए गए थे, इसमें शिशु के जीवनयापन के अधिकार से लेकर उसके संरक्षण के अधिकार तक की बातें की गई थी। अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महासभा ने प्रयास किए हैं। इसी से सम्बन्धित देशज लोगों के अधिकारों के लिए वर्ष 1990 में एक प्रस्ताव पारित हुआ और वर्ष 1993 में देशज लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों की सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए। नस्लवाद का विरोध, इसके लक्ष्यों में प्रमुख रहा है। वर्ष 1993 से 2003 तक के दशक को नस्लवाद विरोधी दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।

गैर–सरकारी संगठन :

मानवाधिकार संगठनों के अलावा कुछ अन्य संगठन भी है, जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। विश्वव्यापी एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम मानवाधिकार के लिए सबसे पहले आता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी शुरूआत एक ब्रिटिश वकील पीटर बेनसन ने 28 मई, 1961 को अखबारों में एक अपील देकर की थी। यह विश्व में होने वाले मानवाधिकार उल्लघंन के मामलों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता

सहायक प्राध्याप (वाणिज्य विभाग), भेरुलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (मध्यप्रदेश)

है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सलाहकारी दर्जा प्राप्त है। इस संगठन को वर्ष 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।

ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक जाना–माना अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। इस संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क में वर्ष 1978 में हुई थी, यह संगठन महिलाओं बच्चों तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के अधिकारों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। डिफेंस फॉर चिल्ड्रेन इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1979 में जेनेवा में इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक लॉयर्स की स्थापना वर्ष 1946 मे ब्रुसेल्स में और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की स्थापना वर्ष 1971 में पेरिस में हुई थी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टरों और नर्सो की एक संस्था है। यह विभिन्न देशों के पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए कार्य करती है। इस संगठन को वर्ष 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। युद्ध या विपदा के समय परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति वर्ष 1863 में जे.एच. दुनांत की मदद से स्थापित की गई थी। यह घायलों का उपचार और पीडितों की मदद आदि, करते समय इसके कर्मचारी तटस्थता का परिचय देते हैं। इस संगठन को वर्ष 1917,1944 और 1963 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

महिलाएँ और मानवाधिकार :

हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जा चुकी है, जिससे विश्व के अधिकांश देशों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इस घोषणा में सभी प्रकार के भेदभाव–लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का आव्हान किया गया है, 1975 में पहली बार महिलाओं की प्रस्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गई थी। वर्ष 1977 में महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा का प्रश्न उठाया गया था। 1978 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के लिए एक संगठन का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष 1979 में महिलाओं के विरूद्व होने वाले समस्त प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए अधिवेशन हुआ। 1992 में महिलाओं के प्रति हिंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में चर्चित हुआ। 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं एवं बलिकाओं के अधिकारों को मानव अधिकारों के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया तथा महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के आशय से नवीन घोषणा जारी की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 दिसम्बर 1993 को महिलाओं के विरूद्व हिंसा के विलोपन की घोषणा को अंगीकार किया। वियना में वर्ष 1993 में मानव अधिकारों पर एक विश्व सम्मेलन हुआ, इसमें 171 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस सम्मेलन ने महिलाओं के अधिकारों के अनुपालन प्रोत्साहन एवं रक्षा के लिए चल रहे, अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरणा दी। 1995 में बीजिंग सम्मेलन में महिला अधिकारों के लिए मानव अधिकारों के रूप में संघर्ष की विस्तृत रणनीति जारी की गई थी। इस सम्मेलन में 189 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा घोषणा और कार्यमंच की अनुमति दी गई थी। 1998 में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने लैंगिक हिंसा को अपराध घोषित किया था।

समाधान और सफलताएँ :

मानवाधिकारों के लिए संघर्ष आज एक विश्वव्यापी आन्दोलन बन गया है। विश्व में मानवाधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए सक्रिय और संघर्षशील व्यक्तियों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है, लेकिन इससे यह आन्दोलन कमजोर नहीं पड़ा है। दुनिया में करीब–करीब हर देश में लोगों को मतदान के जरिए अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिल चुका है। अब देशों की अदालतें मानवाधिकार आयोग तथा स्वतंत्र नागरिक संगठन अधिकारों के उल्लघंन का संज्ञान लेते हैं और दोषियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं। खुद मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ित व्यक्ति भी अदालतों और अन्य उपलब्ध मंचों का सहारा ले रहे हैं और अपेक्षित राहत प्राप्त कर रहे हैं।

इस वैश्वीकरण के युग में मानवाधिकारों की रक्षा में जटिलता आ रही है। इसे तभी सहज बनाया जा सकता है, जब अन्तर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से मानवाधिकार का हनन करने वालों पर कार्यवाही हो। दुनिया के हर हिस्से में मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्रियों ने निजी तत्वों द्वारा भी मानवाधिकारों के पालन और उसकी रक्षा की मांग करनी शुरू कर दी है। इसके बावजूद विश्व में मानवाधिकारों की मौजूदा स्थिति काफी अंसतोषजनक है। कई देशों में मानवाधिकारों का जमकर उल्लघंन और हनन हो रहा है। आज अधिकांश देशों की कानूनी प्रणाली में मानवाधिकारों का मान्यता प्राप्त है। आज बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया हंगरी, पूर्ववर्जी यूगोस्लाविया रिपब्लिक ऑफ मेसिडोनिया में मानवाधिकार लोकपाल कार्य कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कितने ही कठोर क्यों न हो, वे तब तक लागू नहीं हो सकते, जब तक उन्हें सम्बद्ध देशों के राष्ट्रीय कानून में शामिल न किया जाए और उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त न हो। विश्व में कहीं भी मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा। यह एक ऐसी आदर्श स्थिति है, जिसे प्राप्त करना सम्भव नहीं लगता, परन्तु इससे हताश होने की अपेक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए।

कहा जाता है कि शिक्षा विकास के नए द्वारा खोलती है और पूरी दूनिया से साक्षात्कार कराती है। इसी मूलमंत्र को लेकर भारत सरकार ने शिक्षा को मानवाधिकार के अंतर्गत अनिवार्यतः जोड़कर सम्पूर्ण भारत को शिक्षित बनाने का संकल्प लिया।

<u>**संदर्भ**</u> :

(1) बसु डी.डी., भारत का संविधान।

***(2)** Sharma Dr. Krishnan, Crime,Human Rights and National Security.*

***(3)** बाबेल डॉ.बसंतीलाल, महिला एवं बाल कानून।*

❁❁

Since March 2002

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Research Paper**

Research Link - 131, Vol - XIII (12), February - 2015, Page No. 153-155

ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007

मनु के दार्शनिक और सामाजिक विचार : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में मनु के दार्शनिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन किया गया है। मनु की संपूर्ण विचारधारा सामाजिक परिवर्तन के संबंध में बहुत कुछ दैविक है, जो ब्रह्मा की अपेक्षा आंतरिक प्रक्रिया से सीधे जुड़ा है। इसके साथ ही धर्म व नैतिक नियमों का सामाजिक परिवर्तन में विशिष्ट स्थान है। मनु का विश्वास है कि इन्हीं तत्वों के द्वारा समाज में परिवर्तन होते हैं। मनु समाज में स्त्रियों को उचित स्थान देने के पक्ष में है। सांसारिक एवं आत्मिक प्रसन्नता के लिए स्त्री-पुरुष का परस्पर सहयोग आवश्यक है।

डॉ.पूर्णिमा शर्मा

मनु के दार्शनिक एवं सामाजिक विचार आज भी समीचीन है। सांख्य, न्याय, वेदानत, दर्शनों का समन्वय करते हुए मनु लिखते हैं कि समस्त ब्रह्माण्ड ईश्वर या पुरूष की लीला है। परमात्मा अतीन्द्रिय, सूक्ष्म स्वरूप, अत्यल नित्य है। उनके शक्ति रूपी बीज से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने कर्मों की विवेचना के लिए धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित बनाया और यह निश्चय किया कि धर्म से सुख ओर अधर्म से दुख मिलता है। लोकबुद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख, वाहु, उर और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की और उनके लिए अलग–अलग कर्मों की सृष्टि की।[1] इस प्रकार मनु का उद्देश्य वैदिक धर्म के अनुसार सुव्यवस्थित समाज की स्थापना करना था। इसके लिए उन्होंने हिन्दू वैदिक परम्परा से चली आ रही वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू किया। उन्होंने व्यक्ति और समूह के बीच प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की स्थितियों को दूर कर परस्पर सहयोग तथा निर्भरता की व्यवस्था कर व्यक्तिवादिता के स्थान पर समूहवादिता की प्रवृत्ति को विकसित किया। इस दृष्टि से मनु समाज में सावयवी एकता स्थापित करना चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने धर्म तथा कर्म प्रधान सामाजिक जीवन का निरूपण किया है। वे जानते थे कि गुण कर्म और स्वभाव से सारे मनुष्य एक समान नहीं होते, इसलिए वे हर काग्र को समुचित ढंग से पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य को अपने वर्णधर्म का पालन करना चाहिए। मनु ने ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उसे लागू करने पर जोर दिया है तथा कहा है कि यह ईश्वर रचित व्यवस्था है।

मनु की यह व्यवस्था प्रसिद्ध यूनानी विद्वान प्लेटो के न्याय सिद्धांत से मिलती–जुलती है। यद्यपि प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में बांटा है– दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। मनु के ब्राह्मण की तुलना हम प्लेटो के दार्शनिक वर्ग से कर सकते हैं, क्षत्रिय वर्ण की तुलना प्लेटो के सैनिक वर्ग से कर सकते हैं। मनु की व्यवस्था में वैश्य वर्ग की तुलना हम प्लेटो के उत्पादक वर्ग से कर सकते हैं और शुद्रों की तुलना प्लेटो की दास व्यवस्था से की जा सकती है। इसमें अन्तर केवल इतना है कि मनु शूद्र वर्ण को समाज व्यवस्था में ही स्थान देता है, जबकि प्लेटो समाज व्यवस्था से बाहर मनु की व्यवस्था समाज की चौखम्भ व्यवस्था है। निश्चित रूप से यह प्लेटो की त्रिखम्भा व्यवस्था से अच्छी और अधिक वैज्ञानिक है। मनु के अनुसार चार वर्ण तथा उसके धर्म निम्नानुसा हैं–

लोकानां तु विवृच्दापर्थ मुखबाह्यरूपादतः।
ब्राह्माणां क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निखर्तयत।। [2]

मनु के सामाजिक परिवर्तन सम्बंधी विचार :

कोई भी युग ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हुआ हो। परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का एक व्यवस्थित क्रम है और जो बाह्य तत्वों से प्रभावित न होकर आन्तरिक तत्वों से प्रभावित होकर घटित होता है। सामाजिक प्रक्रिया के अनेक तत्वों में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म की भावना से व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता है। इस सम्बन्ध में प्रो0 मोरिस मेटरलिक कहते हैं–

"The wonderful thing about this morality, when we consider it near its source, where it still retains its purity, is that is wholly internal, wholly- spiritual. It finds its sanctions and its rewards only in our own heart"[3]

संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनु की सम्पूर्ण विचारधारा सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में बहुत कुछ दैविक है जो ब्रह्मा की अपेक्षा आन्तरिक प्रक्रिया से सीधे जुड़ा है। इसके साथ ही धर्म व नैतिक नियमों का सामाजिक परिवर्तन में विशिष्ट स्थान है। मनु का विश्वास है कि इन्हीं तत्वों के द्वारा समाज में परिवर्तन घटित होते हैं।

हितकारिणी विज्ञान, वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

स्त्री की स्थिति :

मनु समाज में स्त्रियों को उचित स्थान देने के पक्ष में हैं, सांसारिक एवं आत्मिक प्रसन्नता के लिए स्त्री एवं पुरूष का परस्पर सहयोग आवश्यक है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जब सृष्टि रचना की इच्छा प्रकट की तो स्वयंभू ने स्वयं को ही दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग से पुरूष ओर दूसरे भाग से स्त्री का जन्म हुआ। इसलिए स्त्री और पुरूष, दोनों ईश्वर के विधान में समान हैं। मनु का विचार है कि गृहस्थी का कार्य स्त्रियां सरलता से कर सकती हैं। अतः वे गृहलक्ष्मी हैं, वे बाहर का कार्य सरलता से नहीं कर सकती। इसलिए उन्हें स्वतंत्र होकर बाहर नहीं घूमना चाहिए। मनु यह मानते है कि स्त्री अधिक भावुक ओर कम तार्किक बुद्धि वाली होती है। स्त्री का स्वभाव तथा लगाव कुछ चीजों से होता है जैसे–शय्या, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह, भाव की दुराचरण श्री भगवानदास जी मनु की भावना को समझते हुए लिखते हैं कि–

"Manu's ideal is gentlemen and gentlewomen each filling a distinct place in the domestic and the social scheme, never entering into conflict which each other but ever supplementing the qualities of each other and ever making is life is way smoother for each other [4]

पुत्री की स्थिति :

मनु का विचार है कि लड़की बहुत ही कोमल स्वभाव की जाती है। अतः उसका पालन–पोषण बहुत ही स्नेह और लाड़–प्यार से होना चाहिए। लड़की को सदैव अच्छे वस्त्रों और गहनों से अलंकृत रखना चाहिए। उकना नाम बहुत सुन्दर ओर आशीर्वादी युक्त होना। लड़कियों का विवाह उपयुक्त वर के साथ करना चाहिए। यदि पिता निश्चित आयु में विवाह न करें। तो लड़की वर चुनने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन यह स्वतंत्रता उपयुक्त वर के लिए ही है। मनु कहते हैं कि ऐसी लड़की का भी विवाह होना चाहिए जिसमें कोई शारीरिक दोष हो।

सम्पत्ति का अधिकार :

मनु ने सम्पत्ति के अधिकार पर चर्चा करते हुए लिखा है कि भाई–भाई एवं भाई–बहन के बीच बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए किन्तु जब तक माता–पिता जीवित हैं। सम्पत्ति पर किसी पुत्र को अधिकार नहीं प्राप्त होगा। लड़की को सम्पत्ति पर अधिकार नहीं होगा किन्तु माता की सम्पत्ति में लड़की का अधिकार है। माता की मृत्यु के पश्चात् एवं सहोदर भाई तथा अविवाहित बहनें उसकी सम्पत्ति को बराबर भाग में प्राप्त करते हैं। मनु अविवाहित लड़कियो को सम्पत्ति देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वह इसका दुरूप्योग कर सकती है। अतः उनके विवाह तक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए।

शिक्षा :

स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था और न ही वे इसके मंत्रों को गा सकती थी। इसका यह अर्थ नहीं कि स्त्रियां अशिक्षित रखी जाती थी। उनके सामान्य शिक्षा पर कोई अंकुश नहीं था। वे पति के साथ धार्मिक क्रिया–कलापों में भाग ले सकती थी। दूसरे शब्दों में पति की शिक्षा के साथ पत्नी स्वतः शिक्षित हो जाती है। मनु की धारणा है कि स्त्री का क्षेत्र परिवार है। इस दृष्टि से उसे अधिक शिक्षा की आवश्कयता नहीं है।

अन्तरजातीय विवाह :

वैदिक युग में अन्तरजातीय विवाहों में प्रतिबन्ध नहीं था। धर्मसूत्र और ग्राह्म–सूत्र तक आते–आते इस विवाह के विरूद्ध आवाज उठाने लगी। मनु अन्तरजातीय विवाह के पक्ष में नहीं थे। वह प्रथम विवाह ही कानूनी मानते थे। तथा यह स्वर्ण के साथ ही होना चाहिए। अन्य जाति की स्त्री की साथ विवाह का स्थान गौण है।

पत्नी की स्थिति :

मनु इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने स्त्रियों को परिवार एवं समाज में उचित स्थान देने का प्रयत्न कियां वह स्त्री सम्मान करते हैं, क्योंकि वह स्वयंभू कृति है। मनु कहते है कि स्त्री लोकव्यवहार का मुख्य कारण है, वह पति का आधा भाग है। इसलिए वह अर्धांगिनी कहलाती है। वह स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे ईश्वर से प्रापत की जाती है।

पति–पत्नी के अधिकार और कर्त्तव्य :

मनु कहते हैं कि दोनों को अपने–अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्त्री का कर्त्तव्य है कि वह पति की सेवा करे और उसके मरणोपरान्त भी इस व्रत का उल्लघंन न करे। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो वह स्वर्ग में भी पति प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते ह। जो स्त्री पति सेवा की अवेहलना करती है। वह श्रंगाल योनि से उत्पन्न होती है। स्त्री को बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के आधीन रखना चाहिए। उसका कर्त्तव्य है कि वह घर के कार्यों की देखरेख करे साथ ही वह मादक द्रव्यों का सेवन, दुष्टों के संसर्ग, दूसरे के घर में सोना, इधर–उधर घूमना आदि से बचे। स्त्री–पुरूष का कर्त्तव्य है– अतिथि ब्राह्मण, स्वजातीय, दास–दासी आदि के भोजन के बाद दम्पत्ति भोजन करे। सवर्ण स्त्री के दाह संस्कार का दायित्व पति के ऊपर है।

हिन्दुओं में तलाक :

मुन की व्यवस्था में तलाक को कोई स्थान नहीं दिया गया है। वह करते है कि स्त्री और पुरूष को जीवन पर्यन्त साथ–साथ रहना चाहिए। मनु किसी भी दशा में पुरूष को तलाक की सलाह नहीं देते। इसी प्रकार पति चाहे कितना ही भ्रष्ट क्यों न हो पत्नी उसकी सेवा करती रहे।

स्त्री धन :

स्त्री धन वह है, जो कि उसके माता–पिता से स्नेहपूर्वक विवाह में प्राप्त किया जाता है। उसी पर उसका अधिकार है। मनु के अनुसार छः प्रकार के स्त्री धन हैं।[5] (1) जो विवाह में अग्नि साक्षित्व के समय पिता द्वारा दिया जाता है। (2) जो दुल्हन के बारात के समय दिया जाता है। (3) जो स्नेह से दिया जाता है। (4) जो अपने भाईयों से पाती है। (5) जो अपनी माँ से पाती है। (6) पिता द्वारा जो धन विविध अवसरों पर पात है। किन्तु मनु ने यह नहीं बताया है कि स्त्री उस धन को इच्छानुसार खर्च कर सकती है कि नहीं। उन्होंने यह कहा कि पत्नी–पति के आज्ञा के बिना कुछ भी धन खर्च नहीं कर सकती। इस प्रकार उस धन का प्रयोग केवल पति कर सकता है।

विधवा की स्थिति :

विधवा स्त्री के सम्बन्ध में मनु यह राय नहीं देते कि वह पति के साथ मर जाए, बल्कि उसका यह कर्त्तव्य है कि पति की मृत्यु

के पश्चात् वह संयम से रहे। पति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती रहे, पूजापाठ में लगी रहे। ऐसा करने पर वह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली कहलाएगी और स्वर्ग में अपने पति को भी प्राप्त करेगी। इस प्रकार मनु के नियमों में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गयी है। उनका कहना है कि लड़की का विवाह एक ही बार होता है और सदैव के लिए होता है। विधवा विवाह से उत्पन्न सन्तान को धन में हिस्सा नही मिलेगा। इस प्रकार विधवा स्त्री का मनु के समाज में अपना एक आदर और सम्मान है।

माँ की स्थिति :

भारतीय समाज में मॉ का स्थान सर्वोच्च है। यह जननी निःस्वार्थिनी, त्यागिनी है। इसलिए संसार के प्रत्एक धर्म में उसका सम्मान एवं आदर है। ईश्वर ने माँ को सर्वोच्च स्थान दिया है। इसलिए कहा गया है कि–जननी जन्मभूकिश्च स्वर्गादपि। मनु ने स्पष्ट कहा है कि मॉ पिता की अपेक्षा हजारों गुना अधिक पूज्यनीय है। माँ का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। माँ की आज्ञा के बिना पुत्र किसी भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। जो माँ की सेवा करता है, वह तीनों लोकों में सुख को प्राप्त करता है। यदि कोई माँ का अनादर करता है या उसे त्यागना चाहता है, तो राजा उसे 600 पण दण्डित करे। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है।

वेश्याएँ एवं गुलाम लड़कियां :

नारियों के दो रूप संसार के प्रायः हर कोने में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। इनकी अपनी सामाजिक स्थिति है। मनु की मनःस्थित वेश्याओं के लिए कुछ कठोर एवं गंभीर प्रतीत होती है। उनका कहना है कि जो इनका भोजन करें या दान ले वह पतित हो जाता है। वह इन्हें निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं।

गुलाम लड़कियों का मुख्य कार्य था, राजा के आराम के लिए प्रबंध करना। जब राजा जनान खाने में भोजन के लिए जाते थे, तब उनके चारों–ओर ऐसी लड़कियाँ सेवा के लिए खड़ी रहती थीं।

संदर्भ :

(1) श्रीमती अर्गल एवं डॉ. अर्गल : राजदर्शन के नवरत्न, पृष्ठ 10.

***(2)** श्री हरगोविन्द शास्त्री : मनुस्मृति टीका 1953, पृष्ठ 10.*

***(3)** Quoted in motwani- Manu Shastra, P.340-41.*

***(4)** Bhagwan Das- Science of Social Organisation , Vol. II P. 462.*

***(5)** मनुस्मृति : अध्याय 9, श्लोक 194.*

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Research Paper**
Research Link - 131, Vol - XIII (12), February - 2015, Page No. 156-157
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007
Since March 2002

श्री रघुवीर लाईब्रेरी व शोध संस्थान का ऐतिहासिक परिचय

प्रस्तुत शोधपत्र, श्री रघुवीर लाईब्रेरी व शोध संस्थान के ऐतिहासिक परिचय पर आधारित है। श्री रघुवीर लाईब्रेरी, सीतामउ एशिया की सबसे बड़ी निजी लाईब्रेरी का गौरव प्राप्त है। इस संस्था के पास भारत का प्रथम बॉयोस्कोप कैमरा आज चालू स्थिति में उपलब्ध है। इस पुस्तकालय में भारत-मुस्लिम और मरान इतिहास में शोध के लिए एक आत्म निहित संस्था के रुप में पिछले साठ साल से अधिक समय से जाना जाता रहा है। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों से शोधार्थी पिछले चालीस साल से अधिक समय से संस्थान में आ रहे हैं। नवीनतम प्रकाशनों को इकट्ठा करके श्री रघुवीर लाईब्रेरी को समृद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा जेरोक्स प्रिंट व सूक्ष्म फिल्म व निजी कब्जे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पाण्डुलिपि संग्रह संस्थान द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है।

राजेन्द्र ढेबाना* व प्रीति चौहान**

मन्दसौर जिला मध्यप्रदेश का एक समृद्ध जिला है, जिसकी आबादी 12.50 लाख से अधिक है। यह जिला काफी क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ की पुरातात्विक धरोहर का भारत व भारत के बाहर अन्य देशों में विशिष्ट स्थान है।

यहाँ की पुरातात्विक धरोहर में भानपुरा की छत्रियाँ, भित्तचित्र, शिलालेख, पहाड़, महल, मन्दिर व पुरात्ताविक हवेलियाँ अपने आप में अपनी पुरानी इतिहास का दास्ता का मुंह खोलकर बयां कर रहे हैं। इसी प्रकार मन्दसौर जिले की सभी तहसीलों में यह पुरातातविक सामग्री प्रचुर मात्रा में बिखरी पड़ी है, जिसे देखने देश–विदेश के सैलानी, इतिहासकार, शोधार्थी व अन्य जानी–मानी हस्तियां, यहां पर अपने मन में काफी प्रश्न लेकर आते हैं व पुरातात्विक धरोहरें व शिलालेख को देखकर चले जाते हैं।

इन पुरातात्विक धरोहरों को सहजने का सरकार व प्रशासन का कार्य होता है, जिसे यह सरकारी अमला व प्रशासन अपने स्तर पर निभाता है व धरोहर को सहेजता है, लेकिन समय, धूप, बारिश व अन्य मौसमी कारण व लोगों को जागरूक न होना, इन धरोहरों को धीरे–धीरे धूमिल व नष्ट कर देता है, जिससे आगे वाली पीढ़ी इसकी सही जानकारी हमें सही ढंग से दे नहीं पाते हैं, जिससे हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर समाज के पुराने कर्मकाण्ड, नियम, कानून, सामाजिक रीतियां, संस्कारों व अन्य पुरातात्विक गतिविधियों तथा पुराने इतिहास हमारी नई पीढ़ी वंचित रह जाती है।

इन स्थितियों का अध्ययन करते हुए डॉ. रघुवीर सिंहजी ने मालवा क्षेत्र में नटनागर शोध संस्थान (लाईब्रेरी) की शुरूआत की, जो आज यह पौधा वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है।

मालवा क्षेत्र में नटनागर शोध संस्थान :

मालवा क्षेत्र की दृष्टि से काफी फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मन्दसौर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। यहाँ की जनसंख्या 12.50 लाख से अधिक है। इस जिले में पहले नीमच तहसील थी, जो 2001 में जिला घोषित हुआ है।

वर्तमान में मन्दसौर जिले में सात तहसीलें हैं, मन्दसौर, मल्हारगढ़, सीतामउ, दलौदा, गरोठ, भानपुरा व शामगढ़ है। महिला व पुरूषों का साक्षरता औसत अन्य जिलों से अच्छा है, जिसकी वजह यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छी पहल हुई है। इस क्षेत्र में कई शासकीय व अशासकीय स्कूल कॉलेज संचालित है व भविष्य में महाविद्यालय बनने की असीम संभावना है। यह क्षेत्र शांत क्षेत्र है। यहाँ अधिकतर कृषक वर्ग निवास करता है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, चना, सोयाबीन, लहसुन, मक्का, संतरें, मूंगफली व अफीम की खेती के कारण यह क्षेत्र विश्वभर में प्रसिद्ध है।

यहाँ उद्योग धंधों में स्लेट, पेंसिल उद्योग, सोयाबीन प्लांट, मन्दसौर स्टील फेक्ट्री, सोलर प्लांट व अन्य कई उद्योग स्थापित है, जिससे शहरों व आसपास के नागरिक अपने रोजगार का साधन प्राप्त है। यहाँ प्रमुख रूप से दो पुराने औघोगिक कारखानें स्थापित हैं। एक राजाराम फैक्ट्री व दूसरा सेठ लक्ष्मीनारायण गनेडीवाल कॉटन फैक्ट्री जो काफी वर्षो पुराने है, इनमें कई श्रमिक कार्य करते हैं।

यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफी सृदढ़ है। यहाँ हजारों वर्ष पुराने इतिहास की दास्ता कई भित्तीचित्र, शिलालेख, महाराज अशोक के जमाने का विजय स्तंभ जो हजारों वर्षो पुराना है। महाराजा विक्रमादित्य के समय के शिलालेख, कई पुरातत्व के सिक्के यहाँ इस क्षेत्र में खुदाई से प्राप्त हुए हैं।

कई इतिहासविदों के लेख, पुस्तकें व अन्य पुरातात्विक लेख मिलते हैं व कई पुस्तकें जिनका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, वे इतिहास की पुस्तकें भी इस क्षेत्र में है।

नटनागर शोध संस्थान का परिचय :

महाराजकुमार रतनसिंह का जन्म 11.04.1808 को लदूना के

***ग्रंथपाल, भगवान महावीर शिक्षा महाविद्यालय, दलौदा, जिला-मंदसौर (मध्यप्रदेश)**
****सहायक ग्रंथपाल, एम.आई.टी.कॉलेज, मंदसौर (मध्यप्रदेश)**

महल में हुआ है, उनका बचपन लदूना के महलों में बीता शारीरिक व्यायाम, शिक्षा के अलावा शिकार में उनकी रूचि थी।

रतनसिंह जी ने उर्दू, फारसी व हिंदी, ब्रज व संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। उनके पिता की प्रेरणा से रतनसिंहजी ने ''नटनागर'' की कलम नाम के तहत हिन्दी, ब्रज, फारसी और उर्दू में कविताएँ लिखना शुरू किया। बाद में नटनागर विनोद बनाया गया था। रतनसिंह की अप्रकाशित प्रतिलिपि नटनागर शोध संस्थान में अभी भी उपलब्ध है।

साहित्य के लिए प्यार के साथ साथ रतनसिंह को चित्रकला, संगीत तथा घुड़सवारी का शौक था। सीतामउ राज्य में संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए रतनसिंह, 1860 में ग्वालियर का दौरा किया था।

महाराज कुमार रतनसिंह 26.01.1984 को 55 वर्श की उम्र में एक घोड़े से गिरने के बाद मृत्यु हो गई। महाराजा कुमार रतनसिंह महाराजा राजसिंह सीतामउ राज्य के शासक के पुत्र थे। वे एक कवि और शायर थे। उनकी कलम का नाम नटनागर था। डॉ. रघुवीर सिंहजी ने उनकी कलम नाम पर संस्थान की स्थापना की।

डॉ. साहब का सामाजिक योगदान :

श्री नटनागर शोध संस्थान सीतामउ इतिहासकारों और शोध कर्ता, आवश्यक अभिलेखों पाडुलिपियों ऐतिहासिक शोध और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान के रूप में 14 अगस्त 1974 को डॉ. रघुवीरसिंह द्वारा स्थापित किया गया है। तब से यह तेजी से बढ़ रहा है और अब इसके निर्देशक के रूप में अनुभवी प्रख्यात इतिहासकार और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम और अन्य प्राथमिक स्त्रोत सामग्री का संपादन सहित ऐतिहासिक शोध के लिए विशेष रूप से योजना बनाई। शोधकर्ताओं के लिए नियमित कर्मचारियों के साथ विकसित अनुसंधान संस्थान है।

श्री रघुवीर लाईब्रेरी, सीतामउ (डॉ. रघुवीरसिंह के पूर्व निजी पुस्तकालय) एशिया की सबसे बड़ी निजी लाईब्रेरी का गौरव प्राप्त है। इस संस्था के पास भारत का प्रथम बॉयोस्कोप कैमरा आज भी चालू स्थिति में उपलब्ध है। इस पुस्तकालय में भारत–मुस्लिम और मरान इतिहास में शोध के लिए एक आत्म निहित संस्था के रूप में पिछले साठ साल से अधिक के लिए जाना जाता रहा है।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों से शोधार्थी पिछले चालीस साल और उससे अधिक समय से संस्थान में आ रहे हैं।

नवीनतम प्रकाशनों को इकट्ठा करके श्री रघुवीर पुस्तकालय को समृद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा जेरोक्स प्रिंट व सूक्ष्म फिल्म व निजी कब्जे में महत्वपूर्ण एतिहासिक पाडुलिपि संग्रह संस्थान द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य सरकार विधिवत एक विशेष संस्था के रूप में श्री नटनागर शोध संस्थान सीतामउ मान्यता प्राप्त है।

राष्ट्रीय धरोहर को सहजना :

नटनागर शोध संस्थान भारत के राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है और यह बहुत व्यापक है। व्यक्ति विशेष उर्दू, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी विषयों की सीमा के रूप में अलग–अलग भाषाओं में 6000 पाडुलिपियों का एक दुर्लभ संग्रह के साथ उत्कृष्ठ पुस्तकालय है।

पुस्तकालय हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, फारसी, उर्दू और संस्कृत में दुर्लभ 40 हजार से अधिक पुस्तकें संरक्षित कर रहा है। विभिन्न अंग्रेजी शोध पत्रिकाओं और विदेशों में भारत में प्रकाशित पत्रिकाएँ यहाँ उपलब्ध है। उनमें से अधिक डॉ. रघुवीर सिंह द्वारा एकत्र की गई है।

राजस्थान, गुजरात और मालवा की संपूर्ण जानकारी लाईब्रेरी में उपलब्ध है। लाईब्रेरी में मध्यकालीन भारतीय इतिहास, एंग्लो, मराठा इतिहास और प्रांतीय इतिहास के कई दस्तावेज उपलब्ध हैं।

श्री रघुवीर लाईब्रेरी में फारसी एम.एस.एस और दस्तावेजों में सिंध, दिल्ली, सल्तनत, मालवा और गुजरात, मुगलों और मुगलों की सल्तनत के इतिहास का स्त्रोत प्रमुख रूप से उपलब्ध है।

एम.एस.एस. के पुस्तकालय सैकड़ों की संख्या में, दस्तावेजों और सूक्ष्म फिल्में फोटो प्रतियाँ हजारों की संख्या में उपलब्ध है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, भारतीय संसद लाईब्रेरी, रायल एशियाटिक, सोसायटी लंदन, आक्सफोर्ड, पेरिस और यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण संग्रह को एकत्र कर रहे हैं।

एक ही विषय में 40 हजार फोटोप्रिंट और पेशवा डाफ्ट संग्रह में संरक्षित है। श्री रघुवीर लाईब्रेरी, कई फारसी एम.एस.एस. को संरक्षित रखा गया है, जो 14 वीं सदी के प्रशासन और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है।

अविस्मरणीय निजी पहल :

मालवा और गुजरात के इतिहास से संबंधित लगभग सभी एम. एस.एस. उपलब्ध है। रघुवीर लाईब्रेरी, दिल्ली बादशाह के इतिहास और थकावट के अंक के लिए मालवा, गुजरात और राजपुताना के स्थानीय राजवंशों में विशेषता प्राप्त है। कई माईक्रोफिल्में और एम. एस.एस. मुगल सम्राटों से संबधित यहाँ उपलब्ध है। संस्थान में सैकडों एम.एस.एस., प्रकाश फेंकने वाली माईको फिल्में फोटो, तांबे की प्लेट, सिक्के आदि का अद्धितीय संग्रह है। कई दुर्लभ गुप्त पत्र, टंकित प्रतियाँ यहाँ उपलब्ध हैं।

सीतामउ राज्य को मध्य भारत में विलय कर दिप्त तत्कालीन सीतामउ राज्य के अंग्रेजी कार्यालय की फाईलों के महत्वपूर्ण पत्र व उनके जवाब की मूल प्रतियाँ, टंकणपत्र, भारत सरकार के गजट, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, विभिन्न राज्यों के राजपत्र का दुर्लभ संग्रह जनगणना रिपोर्ट, पिछले दस वर्षो के लिए, ससंदीय रिपोर्ट, भारतीय राज्यों और पत्रिकाओं का गजट का अभिलेखागार है।

1920 ईस्वी के बाद प्रकाशित भारतीय राज्यों के 1350 मुद्रित पुस्तकें और 300 गजट 1894–1945, पुलिस प्रशासनिक रिपोर्ट 1905–1941, बजट प्रशासन 1910–1918, भूमि राजस्व रिकार्ड 1924–1934, होल्कर राज्य की प्रशासनिक रिपोर्ट, समकालीन प्रकाशित रिपोर्ट अभिलेखागार में संरक्षित कर रहे हैं। जो पूर्व में होलकर राज्य के केन्द्रीय जिला और ग्राम प्रशासन के इतिहास को पूनजीर्वित करने में मदद करता है। उसी तरह ग्वालियर राज्य दरबार नीति, प्रशासनिक रिपोर्ट 1923–1946, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास से संबंधित उपयोगी स्त्रोत सामग्री रहे हैं।

संदर्भ :

*(1) नटनागर शोध संस्थान सीतामउ का अवलोकन। **(2)** रघुवीरसिंह लाईब्रेरी सीतामउ का अवलोकन। **(3)** डायरेक्टर श्री डा.मनोहरसिंह जी राडावत, शिक्षाविद केशुरामजी डेबाना, विरेन्द्रसिंहजी राठौड, शिक्षाविद रवि जैन एवं शिक्षाविद श्रीमती शंकुतला चौहान आदि से बातचीत।*

❆❆